दिनांक 18.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 19/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/थाना मड़िहान

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 18.03.2023 को थाना मड़िहान व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सत्येन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मड़िहान पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्येन्द्र निवासी बलुवन थाना विसम्भरपुर जनपद गोपालगंज, बिहार।

जनपद बाराबंकी/थाना रामसनेही घाट

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 17.03.2023 को थाना रामसनेही घाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टोल टैक्स के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामसनेही घाट पर पंजीकृत अभियोग धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद

बाराबंकी व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रामसनेही घाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी ग्राम निबरी थाना चान्दनीबाग जनपद पानीपत, हरियाणा।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 18.03.2023 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेडिकल तिराहे पर चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—वाहिद 2—राजेश 3—शौकीन 4—महावीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वाहिद निवासी कैला भट्टा थाना कोतवाली, गाजियाबाद।

2—राजेश निवासी दहतौरा थाना जगदीशपुरा, आगरा।

3—शौकीन निवासी पार्षद वाली गली मिर्जापुर थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

4—महावीर निवासी पेन्सल भीडवाला राजस्थान।

बरामदगी

1— चोरी की 04 चार पहिया वाहन।

जनपद पीलीभीत/थाना बीसलपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 01 लाख रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 बायो मैट्रिक स्कैनर डिवाइस बरामद**

दिनॉकः 18.03.2023 को थाना बीसलपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर भडरिया मोड़ से 03 अभियुक्तों 1–गजेन्द्र 2–सचिन कुमार 3–प्रेमपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 01 लाख रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 बायो मैट्रिक स्कैनर डिवाइस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बीसलपुर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा धोखाधड़ी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीसलपुर में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व रूपये की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बीसलपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गजेन्द्र निवासी ग्राम जसोली थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

2–सचिन कुमार निवासी ग्राम नारायनपुर थाना बरखेडा जनपद पीलीभीत।

3–प्रेमपाल निवासी ग्राम चन्दनपुरा थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 01 लाख रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

4–01 बायो मैट्रिक स्कैनर डिवाइस।

<u>जनपद बलिया/थाना सुखपुरा</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **112 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 17.03.2023 को थाना सुखपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुखपुरा चौराहे से 02 अभियुक्तों 1–आदित्य 2–मानवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 112 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सुखपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आदित्य निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर बडका खेत थाना नरही जनपद बलिया।

2–मानवेन्द्र निवासी ग्राम खड़सरा थाना खेजूरी जनपद बलिया।

<u>बरामदगी</u>

1–112 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना नौगांवा सादात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला जज जनपद अमरोहा द्वारा थाना नौगांवा सादात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कुंवरपाल 2–बॉबी उर्फ योगेश को आजीवन कारावास व 05–05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः भारतीय सेना का अधिकारी बनकर लोगों से रूपयों की ठगी करने वाला एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः 18–03–2023 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को भारतीय सेना का अधिकारी बनकर लोगों से रूपयों की ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

अंकित चौधरी पुत्र अमर पाल चौधरी निवासी ग्राम–सुक्कर ताल, थाना नकुड, जनपद सहारनपुर।

बरामदगीः

1. रू0 2700/–नगद,
2. भारतीय सेना की वर्दी धारण किया हुआ फोटो,
3. एक अदद एप्पल मोबाईल फोन,
4. एक अदद आधार कार्ड,
5. एक अदद पंजाब नैशनल बैंक का ए0टी0एम0 कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः

दिनांकः18–03–2023 समयः 06.05 बजे, निकट बजरगं ढाबा, थाना बारादरी, जनपद बरेली।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फर्जी तरीके से ठगी करने वाले प्रकरणों की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री मोअज्जम अली खॉ के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक:18.03.2023 को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय सेना का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने का कार्य करता है जिसके सम्बन्ध में थाना बारादरी, जनपद बरेली में मु0अ0सं0:215/2023 धारा 420/170/286 भा0द0वि0 पंजीकृत है वह आज बजरंग ढाबे के पास आने वाला है और कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री मोअज्जम अली खॉ, मु0आ0 शिवओम पाठक ,मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल, का0चा0 अतुल कुमार, का0कमा0 खॉन मौहम्मद, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली की टीम स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅच कर आवश्यक घेराबन्दी कर अभियुक्त अंकित चौधरी उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित चौधरी ने पूछताछ पर भारतीय सेना की वर्दी पहने फोटो के बारे में बताया कि भारतीय सेना की वर्दी पहने फोटो उसी का है जो उसने कुछ समय पहले खिंचवाया था। भारतीय सेना की वर्दी पहने फोटो को लोगों को दिखाकर अपनी मजबूरी बताकर लोगों से झूठ बोलकर पैसे लेने का कार्य करता है। कुछ समय पहले विकास भवन गेट के पास जन सेवा केन्द्र के मालिक से 5000–5000 रूपये की ठगी की थी। कल भी वह जन सेवा केन्द्र विकास भवन पर गया था और उसने जन सेवा केन्द्र के मालिक से झूठ बोलकर पैसे मॉगें थे, उसने पैसे देने से मना कर दिया था इस बात पर मेरी उससे कहा सुनी व गाली गलौज हो गई थी। आज मैं निकल कर अपने घर जा रहा था कि आप लोगों ने पकड लिया। कुछ समय पहले मैंने आगरा के एक पुलिस वाले को अपनी बातों में फंसाकर उससे झूठ बोलकर पैसे ठगने का काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित चौधरी उपरोक्त को थाना बारादरी जनपद बरेली में पंजीकृत मु0अ0सं0: 215/2023 धारा: 420/170/386 भा0द0वि0 में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा की जायेगी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0: 246/17 धाराः 363/366/376 भा0द0वि0 व 5/6 पोक्सो एक्ट, थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर।

2. मु0अ0सं0:288/22 धाराः 420/406/504/506 भा0द0वि0 थाना नकुड, जनपद सहारनपुर।

3. मु0अ0सं0:215/23 धाराः 420/170/386 भा0द0वि0 थाना बारादरी, जनपद बरेली।

———